उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या 980 – काविनी एवं वे0प्र0 – 29 / पाकालि / 11 – 4(6)–11 पी / 86 दिनांक 22 नवम्बर, 2011

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी /
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ /
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ /
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा /
केस्को, कानपुर /
मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग /
समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-I / II),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० / उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।

विषय :- **समयबद्ध वेतनमान की पुरानी योजना से नवीन योजना में वेतन निर्धारण किये जाने पर समीक्षा के फलस्वरूप लिपिकीय कार्मिकों *(सेवानिवृत्त / दिवंगत अथवा अन्य किसी कारणों से सेवा में न रहे)* तथा सेवारत् कार्मिकों से उत्पन्न प्रत्यापित का निराकरण किये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कारपोरेशन के पत्रांक 2056–काविनी / पाकालि–29 / 10–4(6)–11पी / 86 दिनांक 28.12.2010 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में, निदेशक मण्डल की दिनांक 03.06.2009 को सम्पन्न बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में वाँछित सूचनायें निदेशक मण्डल के समक्ष पुनः प्रस्तुत किये जाने एवं अगले आदेशों तक विषयगत वसूली की कार्यवाही को स्थगित रखे जाने के निर्देश दिये गये थे।

2. प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी (95) / 11 बैठक में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि समयबद्ध वेतनमान की पुरानी योजना से नवीन योजना में वेतन निर्धारण किये जाने पर समीक्षा के फलस्वरूप उत्पन्न रिकवरी से प्रभावित मामलों / कार्मिकों से रिकवरी, उनको छठे वेतन आयोग के प्रभावी होने के फलस्वरूप देय एरियर में से कर ली जाये।

3. अस्तु, मुझे यह कहने का निदेश है कि उपरोक्त प्रस्तर–2 में निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में रिकवरी से प्रभावित मामलों / कार्मिकों (सेवानिवृत्त / दिवंगत अथवा अन्य किसी कारणों से सेवा में न रहे) तथा सेवारत् कार्मिकों से वाँछित रिकवरी, उनको छठे वेतन आयोग के प्रभावी होने के फलस्वरूप देय एरियर में से करते हुए लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)

सं० 980 (I) – काविनी एवं वे0प्र0 – 29 / पाकालि / 11 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के विशेष कार्याधिकारी।

(क्रमशः.....2)

2- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3- अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4- अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5- संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
6- समस्त निदेशक, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक / महाप्रबन्धक / उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 / उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
8- महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ०प्र० पावर कारापोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
10- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
11- सचिव, उ०प्र० राज्य ऊर्जा कार्मिक न्यास, शक्ति भवन, लखनऊ।
12- अनु सचिव (स०प्र०–लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
13- लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी / क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0।
15- समस्त अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मु०), शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
16- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 12.10.2011 को सम्पन्न सत्तासी (95)/11 बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन के सन्दर्भ में।
17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0–407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाईट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(विनय किशोर श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव (का०वि०नी०)